



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-589 राँची, मंगलवार,

30 नवम्बर, 2021 (ई०)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

संख्या-06/उ०नि०/ FPP-2015/06-2020-1156--खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुल ₹0 10,000/-करोड़ (दस हजार करोड़ रुपये) की केन्द्र प्रायोजित योजना "Scheme for Formalisation of Micro Food Enterprises" (FME) का वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अवधि हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य के भागीदारी 60:40 अनुपात में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की सक्षमता वर्धन, *वर्तमान* कार्यरत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं FPO, SHG और Cooperatives के साख पहुँच का वर्धन के द्वारा राज्य में 5465 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु सहयोग देना है। योजना One District One Product के आधार पर संचालित की जायेगी।

जिला स्तर पर योजना के संचालन हेतु योजना के दिशा-निर्देश की कंडिका-9.3.7.1 के अनुरूप उद्योग विभाग के संकल्प संख्या-874 दिनांक-06.09.2021 के आलोक में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी जिलों में जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है-

1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
3.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
4.	जिला बागवानी पदाधिकारी	सदस्य
5.	किसी एक ग्राम पंचायत का मुखिया (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
6.	कोई एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
7.	District lead Bank Manager	सदस्य
8.	किसी एक SHG/FPO के सदस्य (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
9.	NABARD के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	SRLM के जिला प्रतिनिधि	सदस्य
11.	उपायुक्त द्वारा मनोनित एक अन्य व्यक्ति	सदस्य

जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न कार्यों का सम्पादन किया जायेगा-

1. सूक्ष्म एकल ईकाईयों द्वारा ऋण एवं अनुदान प्रस्तावों का स्वीकृति ।
2. Common Infrastructure और समूह के आवेदनों को SNA को अनुशंसा ।
3. District Resource Person द्वारा सूक्ष्म इकाईयों को प्रदत्त को Hand holding support का अनुश्रवण ।
4. Portal के माध्यम से योजना का अनुश्रवण ।

सभी उपायुक्तों को निदेशित किया जाता है कि समिति संरचना की उक्त तालिका के कंडिका-5,6,8 एवं 11 के अनुरूप समिति के सदस्यों को यथाशीघ्र नामित करें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
